HSBC इंडिया फ्रेमवर्क का पर्यावरणीय व सामाजिक यथोचित परिश्रम (E&S Due Diligence)

परिचय

भारत को अपने ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से बढ़ती मांग और जीवाश्म ईंधन पर निरंतर निर्भरता की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गैर-जीवाश्म क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी 2030 NDC (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसकी वर्तमान नवीकरणीय क्षमता को दोगुना से अधिक करना आवश्यक है।

यह उप-परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला विनिर्माण ('लेनदेन') के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए Green Guarantee Company (GGC) और HSBC India के बीच एक फ्रेमवर्क की स्थापना करती है। HSBC इंडिया फ्रेमवर्क ('फ्रेमवर्क') को मानक शर्तों और प्रतिबंधों को निर्धारित करके, अंतिम उधारकर्ताओं (end borrowers) को HSBC India के ऋण के लिए गारंटी जारी करने को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह फ्रेमवर्क GCF द्वारा अनुमोदित Green Guarantee Company (FP197) कार्यक्रम की एक उप-परियोजना है।

इस पर्यावरणीय व सामाजिक यथोचित परिश्रम (ESDD) का फोकस इस फ्रेमवर्क को नियंत्रित करने वाली HSBC India और GGC नीतियों और प्रक्रियाओं पर है, जिन्हें फ्रेमवर्क के तहत वित्त पोषित लेनदेन के पर्यावरणीय व सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन करने के लिए अपनाया जाएगा।

जोखिम श्रेणी

इस फ्रेमवर्क के लिए निर्दिष्ट जोखिम श्रेणी, श्रेणी I-2 है, क्योंकि गारंटी की लाभार्थी एक वित्तीय मध्यस्थ (HSBC India) है, जो नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला लेनदेन में निवेश करती है। HSBC India की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अलावा, GGC, GGC पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली और परिचालन मैनुअल (GGC ESMS), GGC गारंटी नीति और बहिष्करण सूची के तहत पात्रता मानदंड (वित्त पोषण प्रस्ताव के तहत GCF द्वारा अनुमोदित सभी दस्तावेज) के साथ संरेखण के लिए इस फ्रेमवर्क के तहत प्रत्येक लेनदेन की स्क्रीनिंग करेगी।

इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रस्तावित लेन-देन में ऐसी व्यावसायिक गतिविधियां शामिल होने की संभावना है, जिनमें संभावित सीमित प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम हों, तथा प्रभावों की संख्या

कम हों, आम तौर पर स्थल-विशिष्ट हों, अधिकांश तौर पर प्रतिवर्ती हों, तथा शमन उपायों के माध्यम से आसानी से संभाल जा सकें। उन लेनदेनों को श्रेणी B के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने की आशा है।

पर्यावरणीय और सामाजिक (E&S) जोखिम आकलन

HSBC जोखिम प्रबंधन टीम इक्वेटर सिद्धांतों और HSBC स्थिरता जोखिम नीतियों का उपयोग करते हुए, दायरे में आने वाले लेनदेनों की पहचान करेगी। ये लेनदेन GGC पात्रता मानदंड (GGC गारंटी नीति और बहिष्करण सूची) को भी पूरा करेंगे, जिन्हें इस फ्रेमवर्क में शामिल किया जाएगा। जोखिम मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन दस्तावेज में श्रेणी B लेनदेन के लिए पर्यावरणीय व सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (ESIA), पर्यावरणीय व सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS) और जहां लागू हो, पर्यावरणीय व सामाजिक प्रबंधन योजना (ESMP) शामिल हैं (लेकिन ये इन तक ही सीमित नहीं है)।

GGC, GGC ESMS के अनुसार लेनदेन के पर्यावरणीय व सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन करेगा, जिसके लिए लागू स्थानीय और राष्ट्रीय पर्यावरणीय व सामाजिक कानूनों और विनियमों, IFC प्रदर्शन मानकों (2012), विश्व बैंक पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशानिर्देशों और क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देशों, और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मुख्य श्रम सम्मेलनों के साथ संरेखण की आवश्यकता होती है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रत्येक लेनदेन के लिए GGC प्रभाव एवं ऋण समितियों से अनुमोदन आवश्यक होगा।

जहां अंतराल देखे जाते हैं, वहां पर्यावरणीय व सामाजिक ऐक्शन प्लान (GGC ESMS में टेम्पलेट के साथ संरेखित) और इक्वेटर सिद्धांत प्लान (EPAP) में उनको कम करने वाली व सुधारात्मक कार्रवाई दर्ज की जाएगी, जो HSBC और अंतिम उधारकर्ता के बीच ऋण समझौते का हिस्सा बन जाएगी।

इसके अलावा, उच्च जोखिम श्रेणी B लेनदेन के लिए, HSBC EP विषय-वस्तु के विशेषज्ञों द्वारा उस लेनदेन की निगरानी की जाएगी। लेनदेन पर पर्यावरणीय व सामाजिक यथोचित परिश्रम (ESDD) करने और उसे तैयार करने के लिए स्वतंत्र पर्यावरणीय व सामाजिक सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी।

HSBC पर्यावरणीय व सामाजिक प्रणाली और नीतियों की अनुपालन समीक्षा

HSBC द्वारा प्रस्तुत स्थिरता और ESG से संबंधित नीतियां GGC ESMS के अनुरूप हैं, और इस फ्रेमवर्क के तहत अपेक्षित श्रेणी B या C लेनदेन के प्रबंधन के लिए पर्याप्त हैं। जहां GGC ESMS से मतभेद होंगे, वहां अधिक कठोर आवश्यकताएं (शर्तें) लागू की जाएंगी। HSBC भी GCF से मान्यता प्राप्त संस्था है और फ्रेमवर्क पर लागू उनकी पर्यावरणीय व सामाजिक प्रबंधन प्रणाली के स्वीकार्य होने की आशा है।

- HSBC ESMS: HSBC स्थिरता जोखिम नीतियां (फरवरी 2025) HSBC जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और कार्यान्वयन के साधनों की व्याख्या करती है। ये नीतियां पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों से संबंधित साख, ऋण, कानूनी और अन्य जोखिमों को कम करने पर केंद्रित हैं। HSBC, इक्वेटर सिद्धांतों (EP)[1] (2003 में अपनाया गया) की हस्ताक्षरकर्ता है, जिसका अर्थ है कि इसने IFC पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन मानकों (IFC) को सुरक्षा तंत्र के रूप में अपनाया गया है। यह GGC ESMS की आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- श्रम एवं कार्य स्थितियां (IFC PS2): स्थायित्व जोखिम नीतियों और EP के अतिरिक्त, HSBC के पास ऐसी नीतियां हैं जो उनके कर्मचारियों और कार्य स्थितियों की सुरक्षा करती हैं। इन नीतियों[2] में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति, मानसिक स्वास्थ्य नीति, HSBC मानवाधिकार वक्तव्य, आधुनिक दासता अधिनियम, पारिश्रमिक प्रथाएं एवं शासन, तथा व्हिसलब्लोइंग व्यवस्था शामिल हैं, लेकिन ये तक ही सीमित नहीं हैं। यह GGC ESMS के साथ संरेखित होती है।
- हितधारक सहभागिता: इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत लेन-देन स्तर पर, सभी संबंधित हितधारकों के साथ संरचित और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से सहभागिता होगी, जो EP और GGC ESMS की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। हितधारक सहभागिता के विवरण, सहभागिता की योजना, प्रक्रिया और परिणाम की समीक्षा अनुमोदन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में HSBC और GGC द्वारा की जाएगी।
- शिकायत निवारण तंत्र: भारत में HSBC के पास एक शिकायत रिपोर्टिंग प्रणाली और एक शिकायत निवारण नीति है जो शिकायतों को करने के तरीके और एक संरचित ढांचे के माध्यम से हितधारकों की शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया को निर्धारित करती है।[3] शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए कई स्तर हैं, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल योजना तक शिकायत को आगे बढ़ाना भी शामिल है। यह प्रावधान EP आवश्यकताओं के अनुरूप है। लेनदेन स्तर पर, अंतिम उधारकर्ताओं द्वारा अलग शिकायत तंत्र स्थापित किया जाएगा और अनुमोदन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में GGC द्वारा तंत्र के प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी।
- SEAH (यौन शोषण, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न) से सुरक्षा: HSBC मानवाधिकार वक्तव्य[4] में मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है तथा उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो उनके परिचालनों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक

---

[1] The Equator Principles_EP4_July2020

[2] ESG रिपोर्टिंग सेंटर | HSBC Holdings plc

[3] फीडबैक और शिकायतें | सहायता और सपोर्ट - HSBC IN

[4] HSBC मानवाधिकार वक्तव्य, इस लिंक पर ऑनलाइन उपलब्ध है: https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/who-we-are/pdf/230710-hsbc-human-rights-statement.pdf?download=1

हैं। EP के हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, यह फ्रेमवर्क IFC प्रदर्शन मानक (PS) की आवश्यकताओं, विशेष रूप से PS4 (सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा) का अनुपालन करेगा, जिसमें SEAH के विरुद्ध सुरक्षा की आवश्यकताएं भी शामिल हैं। लेनदेन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, GGC अंतिम उधारकर्ता की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगा और जहां कमियों की पहचान की जाएगी, वहां सुधारात्मक कार्रवाई पर सहमति बनाई जाएगी और उसे लेनदेन से जुड़े पर्यावरणीय व सामाजिक ऐक्शन प्लान (ESAP) में दर्ज किया जाएगा।

- <u>पर्यावरणीय व सामाजिक जिम्मेदारियां और जवाबदेही</u>: HSBC बोर्ड ESG रणनीति की समग्र जिम्मेदारी लेता है, तथा दृष्टिकोण, क्रियान्वयन और संबंधित रिपोर्टिंग के विकास में कार्यकारी प्रबंधन की देखरेख करता है। बोर्ड स्तर के शासन के अंतर्गत, प्रबंधन स्तर पर, ESG समिति, ESG रणनीति और नीतियों की निगरानी करती है, जिसमें प्रतिबद्धताओं, डिलिवरेबल्स और लक्ष्यों पर प्रगति की निगरानी और बोर्ड को रिपोर्ट करना शामिल है।[5]
- <u>लैंगिक-सकारात्मक प्रभाव</u>: HSBC के पास बोर्ड स्तर पर विविधता और समावेशन की नीति है, जिसमें निदेशक मंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और बोर्ड में वरिष्ठ पदों पर महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। लेनदेन के स्तर पर, GGC ऊर्जा क्षेत्र और विशेष रूप से भारत के लिए GGC लैंगिक मूल्यांकन (वित्त पोषण अनुमोदन के दौरान GCF द्वारा अनुमोदित) में निष्कर्षों का उपयोग करके लैंगिक सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के अवसरों का पता लगाएगी। जहां उपयुक्त होगा, अंतिम उधारकर्ताओं के लिए कार्य योजना के हिस्से के रूप में लैंगिक-सकारात्मक ऐक्शन शामिल किए जाएंगे।

निगरानी व रिपोर्टिंग

- <u>पर्यावरणीय व सामाजिक प्रदर्शन की निगरानी और रिपोर्टिंग</u>: GGC ESMS की अपेक्षा के अनुसार, अंतिम उधारकर्ताओं द्वारा लेनदेन स्तर पर पर्यावरण व सामाजिक निष्पादन की रिपोर्ट दी जाएगी, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि जिम्मेदार व्यावसायिक संचालनों और प्रथाओं को लागू किया जा रहा है। निगरानी की प्रकृति इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत लेनदेन के पर्यावरणीय व सामाजिक जोखिमों पर निर्भर करेगी। EP के अनुसार, उच्च जोखिम श्रेणी B लेनदेन के लिए स्वतंत्र पर्यावरणीय व सामाजिक सलाहकार द्वारा स्वतंत्र निगरानी और रिपोर्टिंग की आवश्यकता होगी।

---

[5] वार्षिक रिपोर्ट और लेखा 2024 से (ESG प्रकटीकरण के लिए पेज 42-84 देखें)। इस लिंक पर ऑनलाइन उपलब्ध है: https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/investors/hsbc-results/2024/annual/pdfs/hsbc-holdings-plc/250219-annual-report-and-accounts-2024.pdf?download=1

- <u>प्रमुख घटनाओं की रिपोर्टिंग</u>: जैसा कि GGC ESMS द्वारा अपेक्षित है, इस फ्रेमवर्क में लेनदेन के स्तर पर उठाई गई शिकायतों और प्रमुख घटनाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग की आवश्यकता शामिल होगी। घटना/ईवेंट/दुर्घटना की सूचना GGC को दिए जाने के बाद, ऐसी रिपोर्टिंग पर प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया और समय-सीमा, GGC ESMS के अनुरूप होगी।

अनुलग्नक ए (लेनदेन स्कोरकार्ड)

GGC द्वारा लेनदेन स्क्रीनिंग के हिस्से के रूप में, पूर्ण लेनदेन स्कोर कार्ड (GGC ESMS में टेम्पलेट) को नीचे शामिल किया गया है, ताकि गो/नो-गो मूल्यांकन के परिणाम को दस्तावेजित किया जा सके।

स्कोर कार्ड मानदंड	गो /नो-गो / लंबित	टिप्पणियां
1. यह लेनदेन **एक पात्र उधारकर्ता द्वारा विकसित** किया गया है और यह GGC की गारंटी नीति में परिभाषित जोखिम सीमा को **पूरा करता** है।	गो	HSBC इंडिया फ्रेमवर्क के अंतर्गत अंतिम उधारकर्ता निजी क्षेत्र की संस्थाएं होंगी, जो GGC की गारंटी नीति के अनुसार "पात्र उधारकर्ता" के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगी। GGC के बहिष्करण इस फ्रेमवर्क पर लागू होंगे। GGC अंतिम उधारकर्ता वर्गीकरण, स्वामित्व संरचना और काउंटर पार्टी की पात्रता आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करेगी। अधिकतम वैयक्तिक लेनदेन का आकार 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो GGC के कुल दावा भुगतान संसाधनों का 50% है, जो इस नीति में सिंगल-ऑब्लिगर जोखिम सीमा के अनुरूप है।
2. यह लेनदेन GGC के क्षेत्र और देश के मानदंडों को **पूरा करता** है, जैसा कि इसकी गारंटी नीति में निर्धारित किया गया है, तथा GGC के पात्र क्षेत्रों, परिणाम क्षेत्रों या उद्योगों के **अंतर्गत आता** है।	गो	फ्रेमवर्क लेनदेनों का लक्ष्य भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला निवेश होगा। गारंटी नीति के अनुरूप पात्र एसेट क्लासों में सौर, पवन, भूतापीय, जैव ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, ट्रांसमिशन और वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्टोरेज शामिल होंगे। जल विद्युत और अन्य निष्कासित गतिविधियों को इस नीति के अनुसार स्पष्ट रूप से निष्कासित रखा जाएगा। यह ऊर्जा क्षेत्र में GHG शमन के लिए क्षेत्रीय मानदंडों (GCF MRA 1) को पूरा करता है। भारत ODA प्राप्तकर्ताओं की DAC सूची में है और इसे GGC प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित किया गया है।
3. जलवायु बांड पहल (CBI) मानक और प्रमाणन आवश्यकताओं के अनुपालन का आकलन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज **मौजूद हैं**।	गो	GGC यह सुनिश्चित करेगा कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत लेनदेन CBI मानक के अनुरूप एसेट विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।
4. पात्र उधारकर्ता ने दस्तावेजीकरण में संभावित सकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों पर **विचार किया** है, लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तथा उन्हें सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ा है।	गो	सकारात्मक परिणाम सृजन करने के अवसरों की खोज की जाएगी तथा लेनदेन दर लेनदेन आधार पर लागू करने हेतु उनकी पहचान की जाएगी। GGC इस बात की पुष्टि करेगा कि क्या अंतिम उधारकर्ता ने अपेक्षित पर्यावरणीय व सामाजिक लाभों पर विचार किया है, मापे जा सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तथा उन्हें प्रासंगिक SDG के साथ मैप किया है। यदि ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो GGC यह आकलन करेगा कि क्या लेनदेन के संदर्भ में ऐसे दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है, तथा यदि उपयुक्त हो तो ESAP में इस कार्रवाई को शामिल करेगा।
5. पात्र उधारकर्ता ने संभावित लैंगिक-समावेशी परिणामों पर **विचार किया** है।	गो	लैंगिक-सकारात्मक प्रभाव और लैंगिक रूप से उत्तरदायी लक्ष्यों को विकसित किया जाएगा और इस फ्रेमवर्क में शामिल किया जाएगा। लैंगिक-सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के अवसरों वाले लेनदेनों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक KPI होंगे। लैंगिक-समावेशी

		प्रभाव, GGC के लैंगिक मूल्यांकन और लैंगिक कार्य योजना के अनुरूप होगा।
6. पात्र उधारकर्ता ने ESG अनुपालन पर **विचार किया** है, अब तक उपयुक्त दस्तावेजीकरण को पूरा कर लिया है और उससे सभी बकाया ऐक्शन्स में संलग्न होने की अपेक्षा की जाती है।	गो	इक्वेटर सिद्धांत, HSBC स्थिरता जोखिम नीतियां और GGC ESMS इस फ्रेमवर्क पर लागू हैं और इस फ्रेमवर्क के तहत सभी लेनदेन के लिए सुरक्षा तंत्र हैं। ऋण की स्वीकृति के लिए, अंतिम उधारकर्ता को ESG अनुपालन प्रदर्शित करना होगा और सभी उपयुक्त दस्तावेज पूरे करने होंगे तथा बकाया ऐक्शन्स को करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा।

अनुलग्नक बी (HSBC नीतियों का मूल्यांकन)

HSBC स्थिरता जोखिम नीतियों की GCF संशोधित पर्यावरण और सामाजिक नीति (VI. पर्यावरण और सामाजिक जोखिम प्रबंधन के लिए सामान्य आवश्यकताएं) के साथ तुलना, जो GGC पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली और परिचालन मैनुअल (GGC ESMS) को रेखांकित करती है।

	HSBC	नोट्स
प्रत्यायन	- HSBC को 8 मार्च 2017 को मान्यता हासिल हुई थी।	- GCF वेबसाइट के अनुसार, HSBC ने अभी तक GCF के साथ प्रत्यायन मास्टर समझौता (AMA) निष्पादित नहीं किया है और इसलिए GCF कार्यक्रमों/परियोजनाओं के संबंध में उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। - चूंकि मान्यता प्राप्त हुए 9 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, GFC मान्यता आवश्यकताओं में कई सुधार और परिवर्तन हुए हैं।
पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS)	- फरवरी 2025 की HSBC की स्थिरता जोखिम नीतियों का परिचय, बाहरी हितधारकों को HSBC के व्यापक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, HSBC की नीतियों और HSBC द्वारा उन्हें कैसे लागू किया जाए, यह समझने में मदद करने के लिए है।	- कृपया नीचे दिए गए URL का संदर्भ लें। https://www.hsbc.com/who-we-are/esg-and-responsible-business/managing-risk/sustainability-risk
स्क्रीनिंग और जोखिम श्रेणियां	- HSBC ने इक्वेटर सिद्धांतों (EP) को 4 सितंबर 2003 को अपनाया था।	- GCF के अंतरिम पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा उपाय (ESS) अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन मानक हैं। - EP वर्गीकरण अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) की पर्यावरणीय और सामाजिक वर्गीकरण प्रक्रिया पर आधारित है। इसलिए, HSBC इस प्रक्रिया से भली-भांति परिचित है।

पर्यावरणीय और सामाजिक यथोचित परिश्रम/जांच (ESDD)	- HSBC सितम्बर 2003 से एक प्रबल इक्वेटर सिद्धांत वित्तीय संस्थान (EPFI) रहा है। - HSBC ने जिन परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, उनमें EP फ्रेमवर्क लागू करते हुए ESDD का संचालन किया है।	- नीचे EP का एक अंश दिया गया है। *इक्वेटर सिद्धांतों का उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण करते समय पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन हेतु एक सामान्य बेसलाइन और फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करना है।*
पर्यावरणीय और सामाजिक आकलन	- IFC अपने ग्राहकों से पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों के प्रबंधन के लिए प्रदर्शन मानकों (PS) को लागू करने की अपेक्षा रखता है। - क्योंकि EP पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन करते समय PS को अपने मानकों के रूप में प्रयोग करता है, इसलिए HSBC अपने द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में PS को लागू करने में समर्थ है।	- HSBC की अपनी क्षेत्रीय नीतियां भी हैं, जो इस साइट पर पायी जा सकती हैं: स्थिरता जोखिम | जोखिम प्रबंधन | HSBC Holdings plc - ये नीतियां EP के साथ मिलकर लागू की जाएंगी।
IFC PS1: पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन और प्रबंधन	- फरवरी 2025 का HSBC की स्थिरता जोखिम नीतियों का परिचय, HSBC के ESMS का वर्णन करने वाला मूल दस्तावेज है। - EP E&S जोखिम मूल्यांकन और हितधारक सहभागिता के लिए एक फ्रेमवर्क भी प्रदान करता है।	- EP E&S जोखिम मूल्यांकन और हितधारक सहभागिता के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
IFC PS2 से PS8	प्रासंगिक नीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं (ESG सूचना केंद्र | HSBC Holdings plc पर): - स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति - मानसिक स्वास्थ्य नीति - HSBC मानव अधिकार कथन - व्हिसलब्लोइंग व्यवस्था पर HSBC का कथन - आधुनिक दासता अधिनियम - HSBC वानिकी नीति - HSBC कृषि वस्तु नीति - HSBC विश्व धरोहर स्थल और रामसर वेट लैंड नीति - HSBC ऊर्जा नीति - HSBC खनन और धातु नीति	- HSBC की नीतियां उनके आंतरिक परिचालनों और/या HSBC द्वारा प्रस्तुत मुख्य वित्तपोषण उत्पादों पर लागू होती हैं। - EP के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, IFC प्रदर्शन मानक HSBC इंडिया फ्रेमवर्क के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए सभी वित्तपोषण पर लागू होंगे (क्योंकि लेनदेन का मूल्य 35-100 मिलियन अमरीकी डॉलर के बीच होने की आशा है)।

	- HSBC थर्मल कोल फेज़-आउट नीति	
पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन योजना (ESMP)	- EP के सिद्धांत 4 के अनुसार, सभी श्रेणी ए और श्रेणी बी परियोजनाओं के लिए, EPFI को ग्राहक से पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS) विकसित करने और/या बनाए रखने की आवश्यकता होगी। - इसके अलावा, मूल्यांकन प्रक्रिया में उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने और लागू मानकों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई को सम्मिलित करने के लिए ग्राहक द्वारा एक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन योजना (ESMP) तैयार की जाएगी।	- एक EPFI होने के नाते, HSBC, अपने द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए ग्राहक से SESMP विकसित करने की अपेक्षा करेगा। कृपया ध्यान दें कि श्रेणी ए परियोजनाओं को HSBC इंडिया फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं किया जाएगा। - EP के सिद्धांत 4 में कहा गया है कि जहां लागू मानकों को EPFI की संतुष्टि के अनुसार पूरा नहीं किया जाता है, तो ग्राहक और EPFI इक्वेटर सिद्धांत कार्य योजना (EPAP) पर सहमत होंगे। EPAP का उद्देश्य लागू मानकों के अनुरूप EPFI आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतराल और प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करना है। - इसलिए HSBC को जहां आवश्यक हो, वहां ग्राहक से EPAP पर सहमति की आवश्यकता होगी।
निगरानी और सूचना	- EP के सिद्धांत 9 के अनुसार, सभी श्रेणी ए और, जहां उपयुक्त हो, श्रेणी बी परियोजनाओं के लिए, वित्तीय समापन के बाद और ऋण की अवधि के दौरान EP के साथ परियोजना अनुपालन का आकलन करने के लिए, EPFI को स्वतंत्र निगरानी और रिपोर्टिंग की आवश्यकता होगी। - इसके अतिरिक्त, EP में कहा गया है कि किसी बहुपक्षीय या द्विपक्षीय वित्तीय संस्थान या OECD निर्यात ऋण एजेंसी द्वारा की गई किसी भी निगरानी को ध्यान में रखा जा सकता है।	- EP के अनुरूप होने के लिए, HSBC को उच्च जोखिम वाली श्रेणी बी परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र निगरानी और रिपोर्टिंग की आवश्यकता होनी चाहिए। इन परियोजनाओं के चयन पर लेनदेन स्क्रीनिंग चरण के दौरान GGC के साथ सहमति बनाई जाएगी।
हितधारक जुड़ाव	- EP के सिद्धांत 5 के अनुसार, सभी श्रेणी ए और श्रेणी बी परियोजनाओं के लिए, EPFI को ग्राहक से प्रभावित समुदायों, श्रमिकों और जहां प्रासंगिक हो, अन्य हितधारकों के साथ एक संरचित और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से एक सतत प्रक्रिया के रूप में प्रभावी हितधारक जुड़ाव प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। - प्रभावित समुदायों पर संभावित रूप से महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली	- मूल निवासियों (IP) को प्रभावित करने वाली सभी परियोजनाएं ICP की प्रक्रिया के अधीन होंगी, और उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मेजबान देश के दायित्वों को लागू करने वाले कानूनों सहित प्रासंगिक राष्ट्रीय कानून में निहित IP के अधिकारों और सुरक्षा का अनुपालन करना होगा। - IFC PS 7 के पैराग्राफ 13-17 में उन विशेष परिस्थितियों का विवरण दिया गया है जिनमें प्रभावित मूल निवासियों की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC) की आवश्यकता होती है।

	परियोजनाओं के लिए, ग्राहक एक सूचित परामर्श और भागीदारी (ICP) प्रक्रिया का संचालन करेगा। यह प्रक्रिया बाहरी हेरफेर, हस्तक्षेप, जबरदस्ती और धमकी से मुक्त होनी चाहिए।	- यह परिकल्पना नहीं की गई है कि HSBC इंडिया फ्रेमवर्क के अंतर्गत लेनदेन के लिए IFC PS7 लागू करने की आवश्यकता होगी। IP पर अपरिहार्य नकारात्मक प्रभाव की अप्रत्याशित स्थिति में, उपरोक्त IFC PS7 मार्गदर्शन और GGC ESMS के भीतर फ्रेमवर्क लागू होगा।
शिकायत निवारण तंत्र	- EP के सिद्धांत 6 के अनुसार, सभी श्रेणी ए और, जहां उपयुक्त हो, श्रेणी बी परियोजनाओं के लिए, EPFI को ESMS के भाग के रूप में ग्राहक से प्रभावी शिकायत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी, जो परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन के बारे में चिंताओं और शिकायतों को प्राप्त करने और उनके समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रभावित समुदायों और श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं।	- GCF संशोधित पर्यावरण और सामाजिक नीति के अनुसार, GCF का दृष्टिकोण GCF, मान्यता प्राप्त संस्था और गतिविधि स्तरों पर शिकायत और निवारण प्रदान करना है। - EP को ग्राहक से गतिविधि स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होती है। - HSBC इंडिया के पास एक शिकायत निवारण तंत्र है (गैर डीमैट खाते | फीडबैक और शिकायतें - HSBC IN) और GGC ESMS द्वारा अपेक्षित लेनदेन स्तर पर भी इसी प्रकार के तंत्र का अनुरोध किया जाएगा।

✓ नीचे दी गई तालिका HSBC नीतियों में संभावित अंतराल को दर्शाती है।

	HSBC	नोट्स
लैंगिक नीति	- HSBC के पास कोई विशिष्ट लैंगिक नीति नहीं है जो HSBC द्वारा प्रस्तुत वित्तीय उत्पादों पर लागू हो। - HSBC की समावेशन रणनीति में लिंग-संबंधी प्रासंगिक जानकारी है, जो बोर्ड स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व के लिए लक्ष्य प्रदान करती है।	- HSBC संस्था स्तर पर लैंगिक नीति की कमी को GGC द्वारा लेनदेन-दर-लेनदेन आधार पर लिंग सकारात्मक प्रभावों की खोज के माध्यम से दूर किया जा सकता है। क्योंकि GGC का रिपोर्टिंग और निगरानी रणनीति पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए लैंगिक सकारात्मक पहलों और KPI पर विचार किया जा सकता है और HSBC तथा अंतिम उधारकर्ताओं के साथ सहमति बनाई जा सकती है।
यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न से बचाव और सुरक्षा पर संशोधित नीति (SEAH नीति)	- HSBC के पास SEAH पर कोई विशिष्ट नीति नहीं है। - HSBC ऊर्जा नीति में, HSBC मानव अधिकारों से संबंधित जोखिमों और प्रभावों की पहचान, आकलन और प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। 2018 से, प्रासंगिक व्यावसायिक क्षेत्रों और कार्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों वाली एक मानवाधिकार संचालन समिति, HSBC की प्रतिबद्धताओं, नीतियों और प्रक्रियाओं के विकास की देखरेख कर रही है। कार्यकारी उत्तरदायित्व समूह कार्यकारी समिति पर है, जिसकी मानवाधिकार मुद्दों के लिए प्राथमिक जवाबदेही है।	- SEAH नीति का अभाव HSBC के लिए प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है। - इसका समाधान GGC की ESMS प्रक्रिया को अपनाकर किया जाएगा, जिसमें SEAH जोखिमों की पहचान की जाएगी, अंतिम उधारकर्ता को शमन उपाय लागू करने होंगे, तथा GGC को लेनदेन की अवधि में प्रगति और निष्पादन की निगरानी और रिपोर्ट करनी होगी।

अनुलग्नक सी (पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य योजना)

यह पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य योजना (ESP) GCF संशोधित पर्यावरण और सामाजिक नीति के साथ HSBC स्थिरता जोखिम नीतियों का आकलन करने के परिणामस्वरूप तैयार की गई है, जो GGC पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली और परिचालन मैनुअल (GGC ESMS) को रेखांकित करती है। HSBC नीतियों में पहचाने गए अंतरालों को प्रस्तावित शमन कार्रवाई और समय-सीमा के साथ नीचे दर्ज किया गया है।

संदर्भ संख्या	संदर्भ मानक / कानून / विनियम	निष्कर्ष का प्रकार	मामला	कार्यवाही	समय सीमा	प्राथमिकता	लागत निहितार्थ	पूर्णता संकेतक	उत्तरदायी व्यक्ति
	(प्रासंगिक संदर्भ मानक / कानून / विनियम इंगित करें, जैसे IFC प्रदर्शन मानक 1)	*(E&S अनुपालन / मूल्य संवर्धन / प्रभाव)*	*पहचाने गए विशिष्ट जोखिम या अंतराल का संक्षिप्त विवरण।*	*पहचाने गए मुद्दे से बचने, उसे कम करने या प्रबंधित करने की सिफारिश।*	*(कार्रवाई पूरी करने की समयावधि)*	*(निम्न, मध्यम या उच्च)*	*(सबसे अधिक संभावित लागत और उचित सबसे खराब स्थिति)*	*(सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रमाण देते हुए प्रदान की जाने वाली वस्तुएं)*	*(उपयुक्त कर्मी को उत्तरदायित्व सौंपें)*
	GGC लैंगिक कार्य योजना	प्रभाव	HSBC के पास कोई लैंगिक नीति नहीं है	GGC लैंगिक मूल्यांकन और लैंगिक कार्य योजना लागू करना (दस्तावेज Green Guarantee Company पर उपलब्ध हैं)	HSBC इंडिया फ्रेमवर्क के संचालन से पहले	मध्यम	न्यूनतम	HSBC इंडिया फ्रेमवर्क में निगरानी के लिए लैंगिक सकारात्मक प्रभाव मेट्रिक्स शामिल हैं (जहां उपयुक्त हो)	GGC प्रभाव पथक
	SEAH नीति	E&S अनुपालन	HSBC के पास SEAH पर कोई विशिष्ट नीति नहीं है	संभावित SEAH जोखिम की पहचान और	HSBC इंडिया फ्रेमवर्क के संचालन से पहले	उच्च	न्यूनतम	HSBC इंडिया फ्रेमवर्क E&S जोखिम प्रबंधन	GGC पोर्टफोलियो टीम

				प्रबंधन पर GGC ESMS को लागू करना				के लिए GGC ESMS को अपना रहा है।	

अनुलग्नक डी (नवीकरणीय/स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र E&S जोखिम)

नीचे दी गई तालिका, नवीकरणीय/स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन या उत्पाद विनिर्माण से संबंधित लेन-देन के लिए विशिष्ट प्रमुख E&S जोखिमों, शमन उपायों और अवसरों का ओवरव्यू प्रदान करती है।

क्योंकि HSBC इंडिया फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रत्येक लेनदेन का विवरण अभी उपलब्ध नहीं है, ये E&S जोखिम क्षेत्र विशेष के हैं और इनका उद्देश्य उन जोखिमों के उदाहरण प्रदान करना है जो GGC और HSBC द्वारा लेनदेन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं।

[नोट करें: नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई जोखिम रेटिंग, प्रस्तावित शमन और लागत/समय सभी सांकेतिक हैं, और प्रत्येक लेनदेन के विवरण के अधीन होंगे]

पहलू	जोखिम पहचान	जोखिम रेटिंग	प्रस्तावित शमन उपाय	लागत व समय
E&S प्रबंधन प्रणालियां (अंतिम उधारकर्ता की)	ESMS, IFC PS1 के साथ तालमेल में नहीं है	*मध्यम*	IFC PS1 के साथ संरेखण लाने के लिए एक नया ESMS तैयार करें या विद्यमान ESMS को पूरक बनाएं	वित्तीय समापन (FC) से पहले या FC के 3-6 महीने बाद (परियोजना जोखिम पर निर्भर करता है)
	लेनदेन स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र का अभाव (IFC PS1)	*उच्च*	शिकायत करने के ऐसे तरीके विकसित करें जो स्थानीय हितधारकों के लिए सुलभ और समझने योग्य हों, जिसमें गुमनाम रहने की क्षमता भी शामिल हो।	FC से पहले
पर्यावरण	परियोजना लोकेशन का जैव विविधता पर प्रभाव (IFC PS6)	*निम्न-उच्च*	जहां तक संभव हो, बचाव के उपाय अपनाएं। आधारभूत और प्रभाव आकलन करना, तथा शमन उपायों के लिए स्थानीय पर्यावरण प्राधिकरण के साथ सहयोग करना।	FC से पहले
	अपशिष्ट प्रबंधन (IFC PS3)	*निम्न-मध्यम*	यदि आवश्यक हो तो जल निकासी और जल उपचार सुविधा सहित जल प्रबंधन योजना को लागू करें।	FC से पहले

			ई-अपशिष्ट प्रबंधन योजना, जहाँ संभव हो रीसाइक्लिंग या रीयूज़	
	जलवायु जोखिम	*मध्यम-उच्च*	जलवायु जोखिम मूल्यांकन करें, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए जो बाढ़ के जोखिम से ग्रस्त हैं।	FC से पहले
स्वास्थ्य व सुरक्षा (H&S)	श्रम के उच्च प्रवाह के कारण लिंग आधारित हिंसा (GBV) (IFC PS4)	*निम्न-मध्यम*	GBV के विरुद्ध नीति स्थापित करें और सभी कर्मचारियों और ठेकेदारों को अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करें	वित्तीय समापन (FC) से पहले या FC के 3-6 महीने बाद (परियोजना समय-सीमा पर निर्भर करता है)
	समुदाय को प्रभावित करने वाला ट्रैफिक बढ़ाएं (IFC PS4)	*मध्यम*	यातायात प्रबंधन योजना तैयार करना जो यातायात जोखिमों की पहचान कर उन्हें कम करे	वित्तीय समापन (FC) से पहले या FC के 3-6 महीने बाद (परियोजना समय-सीमा पर निर्भर करता है)
	अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा प्रावधान (IFC PS1 और PS4)	*मध्यम से उच्च*	अग्नि जोखिम मूल्यांकन करें और स्थानीय विनियमों के साथ अग्नि सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करें।	FC से पहले
सामाजिक	आपूर्ति श्रृंखला स्तर पर जबरन श्रम (IFC PS2)	*उच्च*	आपूर्तिकर्ता को नैतिक सोर्सिंग प्रथाओं को बनाए रखने और अनुपालन का प्रमाण प्रदान करने की आवश्यकता है। आपूर्ति श्रृंखला अध्ययन और मैपिंग करना, तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन योजना तैयार करना।	FC से पहले
	भूमि अधिग्रहण के कारण फिजिकल या आर्थिक विस्थापन (IFC PS5)	*उच्च*	हितधारक सहभागिता, आजीविका पुनर्स्थापन योजना और/या पुनर्वास कार्य योजना तैयार करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावित लोगों को IFC PS5 के अनुरूप उचित मुआवजा दिया जाए।	FC से पहले
	पानी की खपत (IFC PS3)	*मध्यम-उच्च*	स्थानीय समुदायों की आपूर्ति प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जल आपूर्ति का मूल्यांकन	FC से पहले

			करना। अन्यथा, वैकल्पिक जल आपूर्ति स्रोत पर विचार करें	
E&S अवसरों का सारांश		- स्थानीय समुदाय के लिए हरित रोजगार सृजित करना तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना। - ऐसी लैंगिक नीति बनाएं जो महिला रोजगार को बढ़ावा दे।		